चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भास्कर	10-3-26	3	3-5

आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण : प्रो. काम्बोज

एचएयू के कॉलेज में आयकर अधिनियम 2025 पर जागरूकता कार्यशाला

भास्कर न्यूज | हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आयकर अधिनियम-2025 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। एचएयू के वित्त नियंत्रक कार्यालय एवं आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज बतौर मुख्य अतिथि जबकि आयकर विभाग कार्यालय, रोहतक से संयुक्त निदेशक डॉ. पूनम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं।

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने कहा कि जीवन में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य करने में निपुणता जरूरी है। इसलिए आयकर अधिनियम 2025 के नियमों एवं प्रावधानों के बारे में जागरूकता हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी है, जिससे देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इससे आर्थिक संतुलन बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

डॉ. पूनम सिंह ने बताया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए कर प्रणाली में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।

कार्यशाला को संबोधित करते कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज।

सैलरी, हाउस रेंट व एजुकेशन एलाउंस की दी जानकारी

कार्यशाला में सीए परमजीत सिंह व विकास गर्ग ने सैलरी, हाउस रेंट, एजुकेशन एलाउंस सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वित्त नियंत्रक नवीन जैन ने सभी का स्वागत किया और कार्यशाला में किए गए नियमों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुलसचिव डॉ. पवन कुमार ने कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद किया। कार्यशाला में टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य, आयकर अधिकारी, चार्टर्ड अकांउटेंट, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डीडीओ, अधिवक्ता मौजूद रहे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अमर उजाला	10-3-26	4	1-3

जीवन में सीखना निरंतर चलने वाली मूल्यवान प्रक्रिया : कांबोज

एचएयू में आयकर अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में बोले कुलपति

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में सोमवार को आयकर अधिनियम-2025 पर कार्यशाला आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. बीआर कांबोज ने कहा कि जीवन में सीखना एक निरंतर चलने वाली मूल्यवान प्रक्रिया है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को रोजाना कुछ नया सीखना व जनना चाहिए। आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी है, जिससे देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं।

प्रो. कांबोज ने कहा कि आयकर व्यवस्था आर्थिक संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। उन्होंने सभी योग्य नागरिकों से ईमानदारी से आयकर का भुगतान करने का आह्वान किया। साथ ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी आयकर नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

एचएयू में आयोजित कार्यशाला में संबोधित करते कुलपति प्रो. बलदेव राज। स्रोत : संस्थान

आयकर विभाग कार्यालय रोहतक से संयुक्त निदेशक डॉ. पूनम सिंह ने बताया कि देश की कर प्रणाली को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। आयकर अधिनियम-2025 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना और करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है। वर्तमान में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन और कैशलेस हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में नई कर व्यवस्था को भी प्रोत्साहन दिया गया है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है ताकि आम नागरिक भी आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकें। साथ ही स्टार्ट-अप, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई सकारात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। कार्यशाला में कुलसचिव डॉ. पवन कुमार, मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव, वित्त नियंत्रक नवीन जैन, परमजीत सिंह और विकास गर्ग आदि मौजूद रहे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	10-3-26	3	1-3

आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण : प्रो. काम्बोज

कार्यशाला को संबोधित करते कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज व कार्यशाला में उपस्थित श्रोतागण

हकृवि में आयकर अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

हिसार, 9 मार्च (ब्यूरो): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आयकर अधिनियम-2025 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

हकृवि के वित्त नियंत्रक कार्यालय एवं आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज बतौर मुख्य अतिथि जबकि आयकर विभाग कार्यालय, रोहतक से संयुक्त निदेशक डा. पूनम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं।

कुलपति प्रो. काम्बोज ने अपने सम्बोधन में कहा कि जीवन में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य करने में निपुणता जरूरी है। इसलिए आयकर अधिनियम 2025 के नियमों एवं प्रावधानों के बारे में जागरूकता हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी है, जिससे देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं। उन्होंने सभी आहरण व वितरण अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयकर नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सुधार जरूरी: डॉ. पूनम सिंह

डॉ पूनम सिंह ने बताया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए कर प्रणाली में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। आयकर अधिनियम 2025 भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना तथा कर दाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया को सहज बनाना है। वर्तमान में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन और कैशलेस हो चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिली है।

आयकर अधिनियम 2025 में नई कर व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया गया है। वित्त नियंत्रक नवीन जैन ने सभी का स्वागत किया और कार्यशाला में किए गए नियमों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में सीए परमजीत सिंह व विकास गर्ग ने सेलरी, हाउस रेंट, एजुकेशन एलाउंस सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

मंच का संचालन छात्रा श्वेता छाबड़ा ने किया। कार्यशाला में टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य, आयकर अधिकारी, चार्टर्ड अकांउटेंट, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डी.डी.ओ., अधिवक्ता, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हरि भूमि	10-3-26	11	2-6

हकृवि में आयकर अधिनियम 2025 पर कार्यशाला में रखे विचार

आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण : प्रो. काम्बोज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आयकर अधिनियम-2025 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। हकृवि के वित्त नियंत्रक कार्यालय एवं आयकर विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज मुख्य अतिथि रहे जबकि आयकर विभाग कार्यालय, रोहतक से संयुक्त निदेशक डॉ. पूनम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं।

कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज ने अपने सम्बोधन में कहा कि जीवन में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य करने में निपुणता जरूरी है। इसलिए आयकर अधिनियम 2025 के नियमों एवं प्रावधानों के बारे में जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी है, जिससे देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं। आयकर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिससे विभिन्न विकास योजनाएं और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं। इससे आर्थिक संतुलन बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

हिसार। कार्यशाला को संबोधित करते कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज। फोटो : हरिभूमि

कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सुधार जरूरी: डॉ. पूनम

डॉ. पूनम सिंह ने बताया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए कर प्रणाली में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। आयकर अधिनियम 2025 भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना तथा कर दाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया को सहज बनाना है। वर्तमान में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन और कैशलेस हो चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिली है। आयकर अधिनियम 2025 में नई कर व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया गया है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को भी अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है, जिससे आम नागरिक भी आसानी से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस अधिनियम में कर अनुपालन को मजबूत बनाने, कर चोरी को रोकने तथा करदाताओं और विभाग के बीच विश्वास को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही स्टार्ट-अप, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई सकारात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

नियमों और प्रावधानों के बारे में दी जानकारी

वित्त नियंत्रक नवीन जैन ने सभी का स्वागत किया और कार्यशाला में किए गए नियमों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में सीए परमजीत सिंह व विकास गर्ग ने सैलरी, हाउस रेंट, एजुकेशन एलाउंस सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कुलसचिव डॉ पवन कुमार ने कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद किया। मंच पर मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डॉ. रमेश कुमार यादव भी उपस्थित रहे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अजीत समाचार	10-3-26	5	6-8

आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण : प्रो. काम्बोज

कार्यशाला को सम्बोधित करते कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज।

हिसार, 9 मार्च (विरेन्द्र वर्मा): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आयकर अधिनियम-2025 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। हकृवि के वित्त नियंत्रक कार्यालय एवं आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज बतौर मुख्य अतिथि जबकि आयकर विभाग कार्यालय, रोहतक से संयुक्त निदेशक डॉ. पूनम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रही। कुलपति प्रो. काम्बोज ने अपने सम्बोधन में कहा कि जीवन में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य करने में निपुणता जरूरी है। इसलिए आयकर अधिनियम 2025 के नियमों एवं प्रावधानों के बारे में जागरूकता हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। आयकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी है, जिससे देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं। आयकर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिससे विभिन्न विकास योजनाएं और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं। इससे आर्थिक संतुलन बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योग्य नागरिक को ईमानदारी से आयकर का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने सभी आहरण व वितरण अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयकर नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। डॉ पूनम सिंह ने बताया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए कर प्रणाली में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। आयकर अधिनियम 2025 भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना तथा कर दाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया को सहज बनाना है। वर्तमान में अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन और कैशलेस हो चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिली है। आयकर अधिनियम 2025 में नई कर व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	10.3.2026	04	01

आयकर कार्यशाला में कई बिंदुओं पर चर्चा

जासं • हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आयकर अधिनियम-2025 को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। हकृवि के वित्त नियंत्रक कार्यालय एवं आयकर विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज कंबोज बतौर मुख्य अतिथि जबकि रोहतक आयकर विभाग कार्यालय से संयुक्त निदेशक डा. पूनम सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। कुलपति ने कहा कि आयकर से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिससे विभिन्न विकास योजनाएं और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं।